परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्रांकः210 विविध/2019–05विविध/2015 दिनांक 12 जुलाई, 2019

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
2–समस्त सेवा प्रबन्धक,
3–समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो),
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषयः चालकों/परिचालकों को अनिवार्य रुप से वर्दी पहनना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निगम मुख्यालय से निर्गत निम्नांकित परिपत्रों (छायाप्रतियां संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें:–

1. 314विविध/18/05विविध/15 दिनांक 23 अक्टूबर 2018
2. 123विविध/19–05विविध/15 दिनांक 26 अप्रैल 2019
3. 159विविध/19–05विविध/15 दिनांक 28 मई 2019

निगम मुख्यालय के पत्र दिनांक 23 अक्टूबर 2018 द्वारा चालकों/परिचालकों को अनिवार्य रुप से वर्दी में रहने पर ही डियूटी दिये जाने तथा दिनांक 31.10.2018 से चालक/परिचालक के बिना वर्दी डियूटी पर आने की स्थिति में उन्हें उपस्थिति न दिये जाने एवं अनुपस्थित मानते हुये, समुचित कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे।

यह संज्ञान में आ रहा है कि अभी भी कुछ चालकों/परिचालकों द्वारा बिना वर्दी डियूटी की जा रही है, जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक व शिथिल पर्यवेक्षकीय नियंत्रण का द्योतक है।

अतएव आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र के समस्त चालकों/परिचालकों के वर्दी में होने पर ही उन्हें ड्यूटी स्लिप दिया जाना, सुनिश्चित कराया जाय।

यदि उपरोक्त निर्देशों का विचलन पाया जाता है तो सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी/सुपरवाईजर एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः–यथोक्त।

(धीरज साहू)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक/समदिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–प्र0नि0/अ0प्र0नि0, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन/प्राविधिक) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. गार्ड पत्रावली

(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

Downloaded from www.upsrtc.com